

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 81/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.
शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15-11-2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 13.08.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 45 एफ 906376 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.07.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.07.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09.09.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2019/422 दिनांक 29.11.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व अनुभाग के पत्रांक/1919 दिनांक 02.08.2019 अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 10 तक चाही गयी सूचना की प्रतिलिपि हेतु कुल 890 पृष्ठ बनते हैं जिस हेतु कुल 1780/-रूपये प्रतिलिपि शुल्क सूचना प्रकोष्ठ अनुभाग में जमा कराने उपरान्त उपलब्ध करा दी जावेगी, इसकी सूचना अपीलार्थी को दी गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रतिलिपि राशि सूचना प्रकोष्ठ अनुभाग में जमा नहीं करायी गयी हैं।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना प्रेषित कर दी जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।



आदेश आज दिनांक 15-11-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/11/2019
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाडा